Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/412

1. मंदिर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज जी महाराज स्थान नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मंदिर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज जी महाराज नैनवा जरिये पुजारी कन्हैया लाल आत्मज श्री रामपाल जाति पण्डा आयु 25 वर्ष पेशा भगवान सेवा पूजा निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मोरपाल आत्मज रामकुंवार जाति धाकड निवासी गांवडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. चौथमल आत्मज रामकुंवार जाति धाकड निवासी ग्राम गॉवडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. गंगाराम आत्मज रामकुंवार जाति धाकड निवासी ग्राम गॉवडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. कमल आत्मज बिरधी लाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. श्याम आत्मज श्री बिरधी लाल आयु 35 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी ।
6. हरिओम आत्मज श्री बिरधी लाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी ।
7. नरेश आत्ज बिरधीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी ।
8. राजू लाल उर्फ रामफल आत्मज श्री बिरधीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 55/दावा/2002

1. मंदिर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज जी महाराज स्थान नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मंदिर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज जी महाराज नैनवा जरिये पुजारी कन्हैया लाल आत्मज श्री रामपाल जाति पण्डा आयु 25 वर्ष पेशा भगवान सेवा पूजा निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. मोरपाल आत्मज रामकुंवार जाति धाकड निवासी गांवडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. चौथमल आत्मज रामकुंवार जाति धाकड निवासी ग्राम गॉवडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. गंगाराम आत्मज रामकुंवार जाति धाकड निवासी ग्राम गॉवडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. कमल आत्मज बिरधी लाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. श्याम आत्मज श्री बिरधी लाल आयु 35 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी
6. हरिओम आत्मज श्री बिरधी लाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी ।
7. नरेश आत्ज बिरधीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनबा जिला बून्दी ।
8. रामफल आत्मज श्री बिरधीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 22.10.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 में संशोधन करते हुए यह निर्णय पारित किया जाता है कि पक्षकारान अपने अधिकार देवस्थान विभाग अथवा सिविल न्यायालय से तय कराए । तब तक मूर्ति मंदिर के हितों की रक्षार्थ राज्य सरकार के परिपत्रों की अनुपालना में तहसीलदार नैनवा वादग्रस्त आराजी पर काश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 22.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

22.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/412

1. मंदिर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज जी महाराज स्थान नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मंदिर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज जी महाराज नैनवा जरिये पुजारी कन्हैया लाल आत्मज श्री रामपाल जाति पण्डा आयु 25 वर्ष पेशा भगवान सेवा पूजा निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोरपाल आत्मज रामकुंवार जाति धाकड निवासी गांवडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. चौथमल आत्मज रामकुंवार जाति धाकड निवासी ग्राम गॉवडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. गंगाराम आत्मज रामकुंवार जाति धाकड निवासी ग्राम गॉवडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. कमल आत्मज बिरधी लाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. श्याम आत्मज श्री बिरधी लाल आयु 35 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी ।
6. हरिओम आत्मज श्री बिरधी लाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी ।
7. नरेश आत्ज बिरधीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी ।
8. राजू लाल उर्फ रामफल आत्मज श्री बिरधीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92(क) के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गांवडी तहसील नैनवा में खतौनी संख्या 94 की भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । वादी कन्हैया लाल ठाकुर जी श्री चतुर्भुज जी महाराज नैनवा का पुश्तैनी पुजारी है । वादी से पूर्व उसके पिता व पूर्वज ठाकुर जी चतुर्भुज

जी की निरन्तर व निर्बाध रूप से सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं । वादी उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूर्ति मंदिर की ओर से काश्त करता और लगान अदा करता चला आ रहा है । इस भूमि से प्राप्त होने वाली आय को मूर्ति की सेवा पूजा व भोग के रूप में उत्सव आदि मनाने के काम में लेता है । प्रतिवादीगण बिना किसी विधिक अधिकार के वादीगण की फसल को जबरन काटकर ले जाने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकार व आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे । दौराने वाद भूमि पर कब्जा करने की स्थिति में प्रतिवादीगण को कब्जे से बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.07.2001 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया । उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यक्ति होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील पेश की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 25.06.2002 को अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को बिरधीलाल के वारिसान को पक्षकार बनाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया था । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2002 की अपील प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील पेश की गई जिमसें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2003 के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2002 को बहाल रखते हुए अपील खारिज कर दी ।

5. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 वादीगण का वाद खारिज करते हुए वादग्रस्त आराजी पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 11.06.93 को तहसीलदार नैनवा को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश को निरस्त करते हुए जमाशुदा राशि का भुगतान रेस्पोडेन्टगण को करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 19.06.2012 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट मंदिर चतुर्भुज नाथ जी गढ चौक नैनवा का पुजारी है और उक्त आराजी पर बहैसियत पुजारी काबिज काश्त चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट कम 4 लगायत 8 का वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । रेस्पोडेन्ट कम 4 से 8 मंदिर चारभुजा जी मालदेव चौक नैनवा का पुजारी है अपीलान्ट ही चारभुजा मंदिर का रेस्पोडेन्ट के साथ आधे हिस्से का पुजारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों मंदिरों को एक मंदिर मानकर आदेश पारित करने में त्रुटि की है । चारभुजा मंदिर मालदेव चौक नैनरवा के खाते में ग्राम बीजलवा एवं गंभीरा के माल में स्थित है जिसके पुजारी स्व0 बिरधीलाल जी रेस्पोडेन्ट कम 4 से 8 के पिता एवं अपीलान्ट हैं दोनों का आराजी में आधा–आधा हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम गांवडी की भूमि के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है जो गलत तथ्यों के आधार पर पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर की खाते में है जिसका अपीलान्ट पुजारी है और काबिज काश्त है । रेस्पोडेन्टगण का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है वे मंदिर के पुजारी नहीं हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों मंदिरों को एक मंदिर मानकर आदेश पारित करने में त्रुटि की है । चारभुजा मंदिर मालदेव चौक नैनवा के खाते में ग्राम बीजलवा एवं गंभीरा के माल में स्थित है जिसके पुजारी स्व0 बिरधीलाल जी रेस्पोडेन्ट कम 4 से 8 के पिता एवं अपीलान्ट हैं दोनों का आराजी में आधा–आधा हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम गांवडी की भूमि के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है जो गलत तथ्यों के आधार पर पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात की सही विवेचना नहीं कर गलत तनकीयात बनाकर तथा दोनों मंदिरों को एक मानते हुए तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर गौर नहीं करते हुए विवादित भूमि पर तहसीलदार रिसीवर होते हुए भी रेस्पोडेन्ट को रिसीवर की राशि दिलवाये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर ही रिसीवर कायम किया गया था । मंदिर चतर्भुज जी गढ चौक नैनवा का पुजारी रेस्पोडेन्ट श्री बिरधीलाल जी के वारिसान को पुजारी मानते हुए दावा गलत तथ्यों के आधार पर खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय एवं माननीय न्यायालय के निर्णय पर गौर न कर रिमाण्ड आदेश की पालना नहीं करते हुए दावा खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है । धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में राशि दिये जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दोनों मंदिर एक ही हैं इनकी तीन गॉवों में भूमि है । 02 गॉव की आराजी पर अपीलान्ट ही काश्त की व्यवस्था करते हैं और एक गॉव की आराजी पर रेस्पोडेन्ट । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है यदि पुजारी की नियुक्ति बाबत् कोई अपीलान्ट को आपत्ति है तो वह सिविल न्यायालय में दावा कर सकते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें ग्राम गांवडी की आराजी खसरा नम्बर 53 की रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा को विवादित बताया गया है । पत्रावली में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट भी संलग्न है जिसे प्रदर्श नहीं करवाया गया है और माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की आदेशिका दिनांक 06.10.2012 एवं 18.10.2012 संलग्न हैं ।

11. नकल जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 प्रदर्श – 2 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गावंडी की नया खाता संख्या 94 की खसरा नम्बर 53 की रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा भूमि श्री ठाकुर जी चतुर्भुज जी महाराज स्थान नैनवा के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी

प्रदर्श– 3 संलग्न है । प्रदर्श– 7 एक तहरीर है जो दिनांक 02.08.1981 को कार्यालय कशोराय चतुर्भुज मंदिर द्वारा निष्पादित की गई है ।

12. पत्रावली पर नकल जमाबन्दी प्रदर्श– ए–1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गंभीरा की नया खाता संख्या 219 की कुल 04 किता की 29 बीघा 11 बिस्वा भूमि श्री चतरभुज जी महाराज निज ग्राम खातेदार के नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2020 से 2023 प्रदर्श– ए–2 के अनुसार ग्राम गंभीरा की आराजी खसरा नम्बर 432/1 की रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा भूमि चारभुजा जी महाराज स्थान नैनवा के नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 प्रदर्श– ए–5 संलग्न है जिसमें खाता संख्या नया 958 की खसरा नम्बर 131 की 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्री किशवदेव जी महाराज स्थान देह पुजारी रामपाल वल्द भवाना कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 प्रदर्श– ए–6 के अनुसार ग्राम गंभीरा की कुल 04 किता की 28 बीघा 16 बिस्वा श्री चतुरभुज जी महाराज के नाम दर्ज है, नगरपालिका नैनवा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 31.12.1991 प्रदर्श– ए–7 जिसके अनुसार चारभुजाजी महाराज का केवल एक ही मंदिर है जो कि आम बाजार मालदेव के चौक नैनवा में स्थित है । नकल पर्चा खतौनी प्रदर्श– ए–8 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गंभीरा की भूमि चारभुजा जी महाराज स्थान नैनवा के नाम दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– ए–9 संलग्न है ।

13. वादी ने बयान पी.डब्ल्यू.––1 कन्हैयालाल, पीडब्ल्यू–2 भंवर लाल, पीडब्ल्यू–3 कल्याण, पीडब्ल्यू–4 जोधराज कराए हैं ।

14. प्रतिवादी ने बयान डीडब्ल्यू–1 चौथमल, डीडब्ल्यू–2 मोरपाल, डीडब्ल्यू–3 कमल कुमार, डीडब्ल्यू–4 राधेश्याम कराए हैं ।

15. पत्रावली में जो दस्तावेज पेश किये गये हैं और दावा एवं जवाबदावे में जो कथन किये गये हैं उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मंदिर मूर्ति के खाते में है । वादीगण स्वयं को मूर्ति मंदिर का पुजारी बताते है। और प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट कम 4 लगायत 08 स्वयं को मंदिर मूर्ति का पुजारी बताते हैं और यह कथन करते हैं कि जमीनों पर पुजारियों का उनके पूर्वजों के समय से बंटावारा हो रहा है । इस कम में हमारा मत है कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के खाते में है और मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग होते हैं । नाबालिग की भूमि पर अगर किसी व्यक्ति का कब्जा होता है तो वह मंदिर की और से माना जावेगा और मूर्ति मंदिर के तेल, भोग की व्यवस्था एवं अन्य खर्चे की व्यवस्था जमीन से प्राप्त आय से की जाती है । दावे एवं जवाबदावे के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादीगण और प्रतिवादीगण के मध्य पुजारी के रूप में कार्य करने के बाबत् विवाद है । आराजी तो मंदिर मूर्ति के खाते की है पुजारी की नियुक्ति एवं पुजारी के कार्य बाबत् कोई वाद होता है तो उसका श्रवणाधिकार देवस्थान विभाग अथवा सिविल न्यायालय को होता है राजस्व न्यायालय को नहीं । वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है ।

16. अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है परन्तु माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 11.06.1993 से वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया है और आराजी के काश्त की व्यवस्था के आदेश दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में हम मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षार्थ यह उचित समझते हैं कि पक्षकार देवस्थान विभाग अथवा सिविल न्यायालय से पुजारी के बाबत् अपने अधिकार का निर्धारण

करवाएं तब तक तहसीलदार नैनवा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की अनुपालना में आराजी पर काश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 में संशोधन करते हुए यह निर्णय पारित किया जाता है कि पक्षकारान अपने अधिकार देवस्थान विभाग अथवा सिविल न्यायालय से तय कराए । तब तक मूर्ति मंदिर के हितों की रक्षार्थ राज्य सरकार के परिपत्रों की अनुपालना में तहसीलदार नैनवा वादग्रस्त आराजी पर काश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करे ।

18. निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.10.2018

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा